

फर्द अहकाम

न्यायालय उपलवड मजिस्ट्रेट प्रकरणात

सिया राम बनाम रावजीपाम

मुकदमा संख्या/वर्ष : 198 / 2010

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/7/20	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील <u>जयशंकर</u> उपस्थित।</p> <p>पत्रावली पेश करने वाले पक्षी/अवकाश...</p> <p>दिनांक <u>8/10/20</u> से पेश</p> <p>उपस्थित <u>जयशंकर</u></p> <p><u>युगल काम में बात है</u></p> <p>दिनांक <u>14/12/20</u> को पेश है</p>
	8/10/20	<p><u>पत्रावली</u> पेश हुई वकील <u>जयशंकर</u> उपस्थित।</p> <p>के पूर्व <u>आदेशों</u> को पालना में नोटीस <u>नकार</u> पेश की गयी।</p> <p>दियापत्र की गई कि <u>रामजी</u> <u>रामचंद्र</u> डाक हाथ <u>पत्रावली</u> <u>पत्रावली</u> दिनांक <u>11/12/20</u> को पेश हो।</p> <p>उपस्थित <u>जयशंकर</u></p>
	11/12/20	<p><u>पत्रावली</u> पेश हुई अधिवक्ता <u>का</u> द्वारा <u>पत्रावली</u> कार्य का बहिष्कार करने का <u>आदेश</u> पेश हुआ।</p> <p><u>पत्रावली</u> पेश हुई। वकील <u>जयशंकर</u> को बार-बार तीन बार रुक रुक कर <u>आवाजे</u> लगावाइ गई किंतु <u>प्राथी</u> व उसने वकील उपस्थित नही। न्यायालय का समय व्यतीत होने की है। अतः <u>प्राथी</u> के वाद को अक्षम <u>हाजरी</u> व अक्षम <u>पैरवी</u> में खारिज किया जाता है।</p> <p>उपस्थित <u>जयशंकर</u></p>

उपस्थित जयशंकर

फर्द अहकाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारागढ़

सिंघाराम

बनाम राधेश्याम लगे

198 / 2013

ब्या/वर्ष

गांक आज्ञा
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पत्रावली केवल शुमार मंबर से कम
हो। बाद प्रति दायित्व इफ्त हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारागढ़